शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009
की
ज़मीनी हक़ीकत

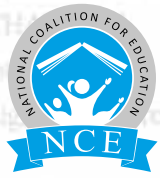

नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन (एनसीई)

परिकल्पना और संपादन : **रमाकान्त राय**
लेखक : **नूपुर** (राष्ट्रीय शोध समन्वयक)
हिन्दी अनुवाद : **कुमार रतन** (राष्ट्रीय पैरोपकारी समन्वयक)
प्रतियाँ : 1000

मुद्रक : **डी आर वी ग्राफ्कि प्रिर्टस 9811111621**

शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009
की
ज़मीनी हक़ीकत

भारत के पांच राज्यों
(उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार और उड़ीसा)
के अनुभवों पर आधारित रिपोर्ट

द्वारा

नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन (एनसीई), भारत

शिक्षक भवन, 41 इंस्टीटूशनल एरिया, डी ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
दूरभाष : +91-11 28526851 फैक्स : +91-11 28525271
ई-मेल : info@nceindia.org वेबसाईट : www.nceindia.org

शोध में सहयोगी संस्थायें

क्रम सं0	राज्य		जिला
1	उत्तर प्रदेशज	विज्ञान फाउन्डेशन	लखनऊ
		भारत उदय एजूकेशन सोसायटी	मेरठ
		भारतीय मजदूर एवं महिला बाल कल्याण सेवा संस्थान	कुशीनगर
		बल विकास एवं शोध संस्थान	इलाहाबाद
		खजुराहट विकास समिति	फैजाबाद
2	उत्तराखंड	उत्तरांचल डेवेलेपमेन्ट इंस्टीट्यूट	चम्पावत
3	बिहार	फुलवारी जागृति केन्द्र	पटना
		जन अधिकार केन्द्र	रोहतास
4	मध्य प्रदेश	आस्था वेलफेयर सोसायटी	खंडवा
5	उड़ीसा	नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन	मयूरभंज
		नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन	खुर्दा
		नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन	पुरी
		नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन	बोलंगीर

आमुख

प्रिय मित्र,

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत भारत में प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का संवैधानिक अधिकार बनाया गया है। इस कानून के बनने के बाद बुनियादी शिक्षा को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला भारत विश्व में 135वां देश बना है।

2011 की जनगणना के अनुसार आज भारत में 74 प्रतिशत की साक्षरता दर हासिल हो सकी है। अभी भी हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके। अभी तक नागर समाज, शिक्षकों तथा सामाजिक संगठनों की सफल कोशिशों से बच्चों का स्कूल में नांमाकन बढ़ा है। यह रिपोट इन्हीं प्रयासों को परिलक्षित करता है।

शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के उद्देश्यों के मद्देनजर नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन (एनसीई) द्वारा अपने सहयोगी स्वयंसेवी संगठनों की मदद से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार और उड़ीसा के शिक्षा से वंचित 145 बच्चों की कहानियां संकलित की गई हैं। जाहिर है कि भारत जैसे विशाल देश के लिए यह बहुत छोटा प्रयास है। यहां हम यह समझाना चाहते हैं कि शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की जमीनी सच्चाई का सिर्फ संख्यात्मक अध्ययन और प्रस्तुति ही हमारा मकसद नहीं है बल्कि हमारा मकसद है कि शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए किए गए प्रयासों को संकलित कर इन प्रयासों को सरकार एवं नागर समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सके जिससे RTE को प्रभावी ढंग से लागू करने में और सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सके।

नागर समाज संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, शिक्षा आधारित संगठनों, शिक्षक संगठनों एवं संसदीय फोरम आदि की संजीदा भागीदारी से हम सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं।

इस रिपोर्ट को तैयार करने में एनसीई के सभी कार्यकर्ता तथा संकलनकर्ता नागर समाज संगठनों को धन्यवाद। इस प्रयास को और बेहतर बनाने में आपके सुझावों का स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित,

रमा कान्त राय
राष्ट्रीय संयोजक

रामपाल सिंह
महासचिव

जगदीश ठाकुर
अध्यक्ष

प्राक्कथन

स्वतंत्रता प्राप्ति के 62 वर्षों के पश्चात भारत में वर्ष 2009 में 'बच्चों के लिए अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा संबंधी कानून' बनाया गया। इसके तहत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। इस कानून के लागू होते ही उन करोड़ों बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने के सपने को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त हुआ जो अभी तक सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह गए थे।

जब कभी किसी कानून की सफलता या असफलता की जांच की जाती है तो इसके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके जमीनी प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाय। इसी संदर्भ में गांधी जी का जंतर एक महत्वपूर्ण मागदर्शक सिद्धान्त बन जाता है जिसमें यह कहा गया है कि 'हमारे द्वारा उठाए गए किसी भी कदम की सफलता का पैमाना यह होना चाहिए कि समाज के सबसे निचले पायदान पर रह रहे सबसे कमजोर और गरीब आदमी के जीवन में इससे क्या प्रभाव पड़ा है ? क्या इससे उसे कुछ लाभ पहुंचा है ? क्या इससे उन करोड़ों लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं अथवा हो रहे हैं जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त ?'

एनसीई द्वारा इसी कसौटी को आधार बनाकर अपने सहयोगी नागर समाज संगठनों के साथ मिलकर शिक्षा अधिकार अधिनयम, 2009 को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रस्तुत रिपोर्ट हमारे प्रयासों के दौरान उभरकर आई सफलता की कहानियों का संकलन है। यद्यपि जमीनी स्तर पर इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी दिखाई देती हैं। यह सकारात्मक अनुभव उस चमकते हुए ध्रुव तारे की तरह है जो शिक्षा के अधिकार के नेक लक्ष्यों की प्राप्ति में नागर समाज का न केवल मार्गदर्शन करेंगे बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ाएंगे।

शिक्षा का अधिकार, 2009 के प्रावधान 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गैर विभेदयुक्त, नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ जरूरी संसाधानों की उपलब्धता की गारंटी देता है। कानून के लागू होने के 5 वर्ष के अन्दर शिक्षकों की नियुक्ति को पूरा करने समेत आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को क्रियान्वित करने को प्रतिबद्ध है।

इस कानून को लागू हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। यह समझने के लिए कि इस कानून के जमीनी प्रभाव क्या है, इस कानून के बाद भी अगर कुछ बच्चे स्कूल के बाहर हैं तो उनके कारण क्या हैं, वो कौन से प्रयास हैं जिनके प्रभाव से शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चे स्कूलों में प्रविष्ट हुए या दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ गए? इन सारे प्रश्नों की जद में **नेशनल कोएलीएशन फार एजूकेशन (एनसीई)** ने देश के 5 राज्यों के 13 जनपदों से 145 ऐसे बच्चों की कहानियों का संग्रह किया है जो या तो स्कूल कभी गए ही नहीं थे या कुछ ऐसे हैं जो किन्ही कारणों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इनमें कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनमें बच्चे ड्रॉप आउट थे परन्तु विभिन्न प्रयासों से अब पुन: शिक्षा से जुड़ गए या जुड़ने की प्रक्रिया में हैं। इन सबके साथ कुछ ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने आए कि विभिन्न प्रयासों के बावजूद बच्चों को पुन: स्कूल से जोड़ने में सफलता नहीं मिली है।

इस अध्ययन के पीछे प्रमुख मंशा यह है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन के बाद बच्चों की शिक्षा की स्थिति में किस तरह का सकारात्मक या नकारात्मक बदलाव आया है, उनका आंकलन करना और सीखों को बच्चों की शिक्षा एवं बाल अधिकारों से जुड़ी संस्थाओं, संगठनों, फोरम और सरकारों के साथ साझा किया जाना जिससे सफलताओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को विस्तारित करके या नकारात्मक परिस्थितियों में सुधार लाकर सकारात्मक बदलाव लाया जा सके और शिक्षा अधिकार को सच के धरातल पर उतारा जा सके।

सफलता की कहानियाँ और विद्यालय के बाहर रह गए बच्चे

एक विश्लेषण

उद्देश्य एवं तर्कसंगतता

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभाव में आने के बावजूद (लागू होने के बाद) यूनेस्को के अनुसार 5 करोड़ 70 लाख बच्चे अभी भी विद्यालय से बाहर हैं। ऐसी स्थिति में यह देखना महत्वपूर्ण है कि वह कौन से कारक हैं जो बच्चों को विद्यालय से बाहर रखते हैं और वे कौन से कारक हैं जो बच्चों को विद्यालय में नांमाकन, प्रवेश और पुनः प्रवेश में मदद करते हैं।

रिपोर्ट का उद्देश्य

1. उन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य कारकों की पहचान करना जिनके कारण बच्चे विद्यालय से बाहर छूट जाते हैं तथा शिक्षा अधिकार कानून को उनके लिए निष्प्रभावी बना रहे हैं।
2. विद्यालय से बाहर छूट गए बच्चों को पुनः मुख्यधारा में लाने के लिए किए गए अच्छे अभ्यासों एवं प्रयासों को जानना।
3. उन सभी अच्छे अभ्यासों (जिनके माध्यम से विद्यालय से बाहर छूट गए बच्चे पुनः मुख्यधारा में वापस लाए गए) का प्रयोग मॉडल (आदर्श) के रूप में किया जा सकता है।
4. इस अध्ययन से उन कारकों का भी पता चलेगा जो बच्चों को वापस विद्यालय से जोड़ने में मददगार रहे।
5. शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के तीन वर्षों के पश्चात इसकी अवस्थिति का पता करना।

इस रिपोर्ट में उन कारकों का पता लगाने की कोशिश की गई है जिनके कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या विद्यालय से बाहर छूट जाते हैं। इस रिपोर्ट में उन कारकों की भी पहचान करने की कोशिश की गई है जिनके कारण बच्चे विद्यालय से पुनः जुड़ते हैं। यह रिपोट विभिन्न स्तरों पर जैसे सामुदायिक, विद्यालय और शासन स्तर पर पाए जाने वाले प्रेरक और अपकारक कारकों का भी विश्लेषण करेगी।

इस रिपोर्ट का उपयोग उन सभी नागर समाज संगठनों या व्यक्तियों द्वारा सरकार से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पैरोकारी करने में किया जा सकेगा जो सबके लिए शिक्षा के सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत है।

आंकड़ों के संग्रह की प्रक्रिया

इस अध्ययन को 145 बच्चों के साथ सम्पन्न किया गया जिनमें से 79 कहानियां सफलता की हैं और शेष 66 उन बच्चों की कहानियां हैं जो विद्यालयी शिक्षा से किन्ही कारणों से वंचित रह गए हैं। पांच राज्यों के 13 विभिन्न जिलों से इन आंकड़ों का संकलन किया गया है जिनका विवरण तालिका संख्या 1.1 में दिया गया हैं।

तालिका संख्या 1.1 : अध्ययन के लिए चुने गए राज्य और जिले

क्र. सं.	राज्य		जिला
1	उत्तर प्रदेश		लखनऊ, मेरठ, कुशीनगर, इलाहाबाद, फैजाबाद
2	उत्तराखंड		चम्पावत
3	बिहार		पटना, रोहतास
4	मध्य प्रदेश		खंडवा
5	उड़ीसा		मयूरभंज, खुर्दा, पुरी, बोलंगीर

Stories of Success and Out of School Children
An Analysis

Rationale and Objective

RTE Act 2009 makes primary education free and compulsory for all children between the age of 6-14years of age. Inspite of having such an Act which makes education a right for every child, there still are almost 5crore 70lakh children (according to UNESCO data) who are out of school. In this scenario, it becomes important to look at what are the factors that keep children out of school and what are the practices that help or facilitates in mainstreaming children to school and Education.

The objectives of this report are:

1) To map out the socio economic, cultural or any other factor which are keeping children out of school and making RTE Act immaterial for them.
2) To map good practices of mainstreaming out of school children to Education. The mapping of all those efforts that have mainstreamed children back to school which could serve as model for others to follow and also would bring out factors that help in bringing children to school.
3) To bring out a report on the status of implementation of RTE Act after three years of its enactment.

The report intends to identify the factors leading to out of school children (either never enrolled or dropped out) and factors responsible for bringing them back to school. The report will analyze the push and pull factors that exist at different levels i.e. at community level, at school level and at governance level. This report intends to be used as an instrument to advocate with the government regarding the implementation status of RTE and also will be used by the civil society organizations or individuals who are working towards making education a reality for all children , in its own capacity.

Process of data collection:

The study was conducted with a sample size of 145 children, where in there are 79 are success stories and 66 are stories of out of school children. The data has been collected from 13 districts of five states. The report tries to capture these stories into the above mentioned two broad categories. The states and the districts that have been covered under the study are given in the table below (Table 1.1)

Table 1.1 : Name of states and districts under study

S.No.	States		Districts
1	Uttar Pradesh		Lucknow, Meerut, Kushinagar, Allahabad, Faizabad
2	Uttrakhand		Champawat
3	Bihar		Patna, Rohtas
4	Madhya Pradesh		Khandva
5	Odisha		Mayurbhanj, Khurda, Puri, Bolangir

इस अध्ययन के लिए राज्यों का चयन दो आधारों पर किया गया था –

1. ऐसे राज्य जिनमें प्रारंभिक शिक्षा का स्तर निम्न हो तथा
2. आंकड़ा संग्रहण अथवा बच्चों के साक्षात्कार के लिए अध्ययन क्षेत्र में नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन अथवा उसके साझीदार संगठनों की उपस्थिति हो।

अध्ययन के लिए नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन के द्वारा दो तरह के प्रारूपों का विकास किया गया था (परिशिष्ट 1)। पहला प्रारूप उन बच्चों की कहानियों को संकलित करने के लिए था जो किन्हीं कारणों से विद्यालय से बाहर छूट गए हैं तथा दूसरा प्रारूप सफल प्रयासों/कहानियों के संकलन हेतु तैयार किया गया था। एनसीई द्वारा इन प्रारूपों को अपने साझीदार संगठनों को दिया गया। संगठनों ने दिए गए प्रारूप के अनुरूप कहानियों को संकलित किया। उन्होंने विद्यालय से बाहर छूट गए बच्चों को चिन्हित किया उनका साक्षात्कार लिया। इसी प्रकार से सफल कहानियों और प्रयासों का भी संकलन किया गया। अधिकतर सफल कहानियों में वैसे बच्चे शामिल हैं जिनका साझीदार संगठनों, शिक्षकों की मदद से विद्यालयों में दोबारा नामांकन कराया गया है।

आकड़ों का वर्गीकरण

सभी कहानियों को दो वर्गो में बांटा गया है।

अ. विद्यालयों से बाहर छूट गए बच्चों की कहानियां

ब. साझीदार संगठनों/सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों को विद्यालय में पुनः प्रवेश दिलाने की सफल कहानियां

उपर्युक्त वर्गीकरण में से प्रत्येक को पुनः चार उपभागों में वर्गीकृत किया गया जो इस प्रकार हैं –

अ) विद्यालय से बाहर छूट गए बच्चों की कहानियां

1 वैसे लड़के जो विद्यालय से बाहर हैं और जिनका नांमाकन विद्यालय में कभी नहीं हुआ।

2 लड़के जो अभी विद्यालय से बाहर हैं लेकिन उनका नामांकन विद्यालय में हुआ था और किसी कारणवश विद्यालय जाना छोड़ दिया।

3 लड़कियां जो विद्यालय से बाहर हैं और उनका नामांकन विद्यालय में कभी भी नहीं हुआ।

4 लड़कियां जो अभी विद्यालय से बाहर हैं उनका विद्यालय में नामांकन तो हुआ था परन्तु किन्हीं कारणों से बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी हैं।

ब) सफल कहानियों का वर्गीकरण भी इसी प्रकार चार उपभागों में किया गया है –

1 उन लड़कों की सफल कहानियां जिनका विद्यालय में नामांकन कभी नहीं हुआ।

2 उन लड़कों की सफल कहानियां जिन्होंने बीच में ही विद्यालय जाना छोड़कर अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी।

3 उन लड़कियों की सफल कहानियां जिनका नामांकन विद्यालय में कभी नहीं हुआ था।

4 उन लड़कियों की सफल कहानियां जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुकी थीं और विद्यालय जाना छोड़ दिया था।

These samples of 145 stories were collected from thirteen districts from five states. The states were selected on the basis of the educational standards. States which are educationally backward were chosen for the study to be conducted. Another factor that was taken into account while doing the data collection was the presence of partners (organizations and individuals that have been working together with National Coalition for Education on Education) in the particular area. As a tool for collection of data, formats were designed (Annexure 1). Two formats, one for the collection of stories of out of school children and another format for the collection of stories of success stories were designed by National Coalition for Education (NCE) and were provided to the partners. A piloting of the format preceded the finalizing of the format. The partners, with the help of the formats provided, collected stories. Partners marked the children who are out of school and interviewed them for their stories. Stories of success were also collected in similar manner. Most of the success stories are of those children who have been readmitted to school by the efforts of organizations or activists working in the areas that have been covered. The above given table shows the states and the districts that have been covered for the study.

Categorizing the Data

The stories have been categoried in two broad categories:

a) Stories of Out Of School Children

b) Success stories of children who have been brought back to the school.

These two categories have been further divided into four categories each. In the category of out of school children, first category of stories are of boys who are out of school and had never been enrolled in the school, second is of the boys who are out of school but had been enrolled to school and dropped out for certain reasons. Third category is of the girls who are out of school and have never been enrolled in the school, and fourth of the girls who are out of school and dropped out in middle.

The second category too have been similarly divided into another four categories, first being success stories of the boys who had never been enrolled, second is the success stories of the boys who had dropped out of the school, thirdly success stories of the girls who had never been enrolled into the school and fourthly, success stories of the girls who had dropped out of the school.

Broad categories	
Stories of out of school children	Success stories of children who have been brought back to school
Further divided into four categories	
Out of school children (boys) who have never been enrolled	Success stories of children (boys) who had never been to school
Out of school children (girls) who have never been enrolled	Success stories of children (girls) who had never been to school
Out of school children (boys) who have dropped out	Success stories of children (boys) who had dropped out of school
Out of school children (girls) who are dropped out	Success stories of children (girls) who had dropped out of school

उपर्युक्त वर्णित वर्गीकरणों के आधार पर सभी 145 कहानियों का वस्तुनिष्ठ तरीके से विश्लेषण किया गया है। बच्चों द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने के कारणों की पड़ताल की गई है। साथ ही उन कारकों का भी विश्लेषण किया गया है जिससे ड्रापआउट बच्चों का पुन: विद्यालय में नामांकन हुआ। विश्लेषण के क्रम में लैंगिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है।

बच्चों के परिवारों की आर्थिक गतिविधियाँ

संकलित कहानियों के अध्ययन से इस बात का भी पता चलता है कि जिस परिवार से बच्चे संबद्ध हैं उन परिवारों की जीविका का साधन क्या है। नीचे दी गई तालिका 1.2 में बच्चों के परिवार की आर्थिक संलग्नता के बारे में पता चलता है।

तालिका 1.2 – परिवारों की आर्थिक गतिविधियाँ

आर्थिक व्यवसाय	परिवारों की संख्या
कृषि	18
दिहाड़ी मजदूर	92
पारम्परिक पेशा	11
अनाथ	2
रिक्शाचालक	8
पशुधान	1
सेवा	4
व्यवसाय/दुकान	6
कोई प्रतिक्रिया नहीं	3
कुल	**145**

ये देखा गया है कि सरकारी विद्यालय मे पढ रहे बच्चों के ज्यादातर माता-पिता दैनिक मजदूर हैं। इस सेर्वक्षण में पाया गया है कि 145 मे से 92 माता-पिता दैनिक मजदूर, 11 माता-पिता पारमपरिक पेशे में और 18 खेती में संल्गन हैं।

These categories have been further analyzed by looking into the reasons behind the drop out of children and also the reasons behind these drop outs. The report also tries to look at the reasons behind the drop out from a gender perspective to bring out the reasons with less ambiguity. The report also tries to analyse the forces and the reasons that facilitated in mainstreaming out of school children to education.

Economical Engagement of the family of Children

The stories collected also gives a picture of the family background that the children come from. The table below (Table 1.2) shows the economical engagement of the family of the children who have been interviewed.

Economic engagement	No. Of Families
Agriculture	18
Daily wages worker	92
Traditional occupation	11
Orphan	2
Ricshaw puller	8
Livestock	1
Service	4
Business/ shops	6
No response	3
Total	145

It can be seen that most of the parents whose children are in government schools are daily wage workers. Out of the total number of 145, 92 of the parents are daily wage workers, another 11 are engaged in traditional occupation and 18 of total number of parents are engaged in agriculture.

विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों की कहानियाँ

पांच राज्यों से एकत्रित की गई 145 कहानियों में से 66 कहानियां उन बच्चों की हैं जो विद्यालय से बाहर रह गए हैं। उन 66 बच्चों में से 28 लड़के और 38 लड़कियां हैं। इस वर्ग में कहानियों को ड्रापआउट बच्चों (लड़के एवं लड़कियां) तथा विद्यालय में कभी नामांकित नही हुए बच्चों के उपवर्गो में बांटा गया है।

विद्यालय से बाहर छूट गए बच्चे (लड़कियां) : ड्रापआउट

तालिका 2.1 लड़कियों द्वारा ड्रापआउट के कारण

वित्तीय	जागरूकता का अभाव	शिक्षकों का व्यवहार
14.29	28.57	57.14

तालिका 2.1 उन लड़कियों के बारे में है जो विद्यालय छोड़ चुकी हैं (ड्रापआउट)। उपरोक्त तालिका में लड़कियों के विद्यालय छोड़ने का कारण भी दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि 58 प्रतिशत लड़कियों ने शिक्षकों के व्यवहार के कारण विद्यालय छोड़ा। कक्षा में शिक्षकों द्वारा लड़कियों/छात्राओं की उपेक्षा की गई तथा कई बार उन्हें शिक्षकों द्वारा हतोत्साहित किया गया। अध्ययन के दौरान कुछ कहानियां ऐसी भी मिलीं जिनसे यह पता चला कि पुरूष शिक्षकों द्वारा विद्यालय में यौन शोषण के कारण भी छात्राओं को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। लगभग 29 प्रतिशत छात्राओं ने जागरूकता के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जागरूकता का अभाव दो स्तरों पर पाया गया। एक तो अभिभावकों में बच्चियों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता का नहीं होना तथा दूसरे शिक्षा अधिकार के तहत सरकार द्वारा लागू किए गए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के बारे में जानकारी का न होना।

ग्राफ 2.1 ड्रापआउट के बाद संलग्नता

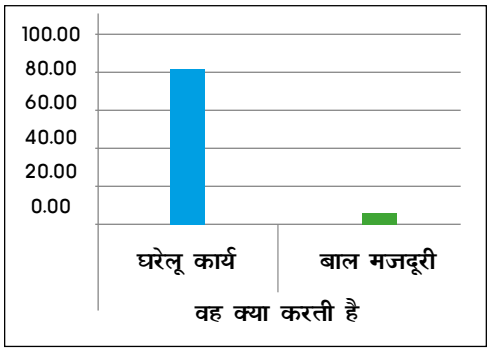

ड्रापआउट छात्राओं में से 14.25 प्रतिशत छात्राओं ने आर्थिक संकट के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अधययन से यह भी पता चलता है कि ड्रापआउट लड़कियों में से 85.71 प्रतिशत लड़कियां घरेलू कार्यो में संलग्न हो जाती हैं जबकि 14.29 प्रतिशत लड़कियां बाल मजदूर बन जाती हैं। यह बाल मजदूरी प्राय: मुहल्ले/गांव के अन्य घरों में नौकरानी के रूप में कार्य करना या किराना दुकानों को चलाना आदि होता है।

आंकड़ों का विश्लेषण यह बताता है कि यद्यपि बहुत सारी लड़कियां शिक्षा के प्रति जागरूकता के अभाव के कारण या खराब आर्थिक स्थिति के कारण ड्रापआउट की श्रेणी में हैं परन्तु उनके भाई विद्यालय जाते हैं। आकड़ों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि केवल 11.6 प्रतिशत ड्रापआउट लड़कियां ही ऐसी हैं जिनके भाई भी विद्यालय नहीं जाते हैं (17 प्रतिशत ड्रापआउट लड़कियों के भाई नहीं हैं)। इससे यह स्पष्ट होता है कि समान विशम परिस्थितियों के होने के बावजूद एक परिवार में लड़के तो विद्यालय जाते हैं किंतु लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है।

लड़कियां जिनका नामांकन विद्यालय में कभी नहीं हुआ

तालिका 3.1 लड़कियों का विद्यालय में नामांकन न होने के कारण

वित्तीय समस्या	शादी नहीं होगी	दूरी	बाल श्रम	घरेलू कार्य	विद्यालय में अस्वीकृति
12.90	3.23	6.45	9.68	64.52	3.23

Stories of Out of School Children

Out of the total 145 stories that have been collected from five states, 66 stories are of those children who are out of school. Out of these 66 children, 28 stories are of boys and 38 are of girls. These stories are further divided into girls and boys who have dropped out and girls and boys who have never been enrolled in school.

Out of School Children (Girls): Drop Out

Table 2.1: Reasons for dropping out of girls

Reason for Drop Out (Percentage)		
Financial	**Lack of Awareness**	**Teachers behavior**
14.29	28.57	57.14

Table 2.1 shows the girls who have dropped out of school. The table also shows the reason behind their drop out. It can be seen that almost 58% of the girls who have dropped out are because of the teachers' behavior towards them. The responses show that teachers do not show interest in paying attention to girl child. They have been neglected in the classrooms and have been discouraged by teachers many a times. There were few cases where girls have dropped out due to the sexual harassment they had to face in the school by male teachers. Almost 29% of the girls dropped pout due to the lack of awareness. This lack of awareness was at two fronts; first being the lack of awareness amongst parents about the importance of girls' education and secondly the lack of awareness about the free and compulsory education that has to be provided by the government. Another reason that came from the study regarding the reasons for drop out was financial problems of the family. 14.29% of the respondents who dropped out gave lack of financial support as a reason for dropping out of the school.

Table 2.2: Engagement of Girls

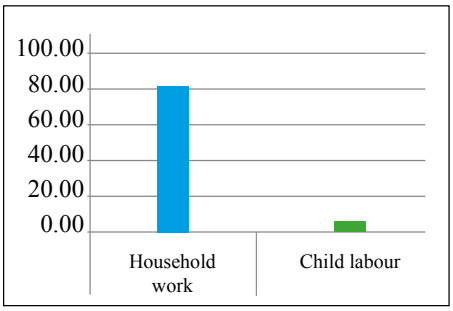

Table 2.2 shows the engagement of girls after dropping out from school. On being asked about what are the girls who dropped out from the school do after they left the school, it is not very surprising to know that 85.71% of the total girls who dropped out from school are involved in the household work. Another 14.29% of the girls are working as child labour. The girls who are working as child labour are mostly working as domestic help in other households or are helping their family run economic activity like sits in shops etc.

It can also be seen that many of the girls are not going to school because of the financial reasons or of the awareness but at the same time it is to be noticed that of all the girls who have dropped out for such reasons, 71.4% of girls have brothers going to school whereas 17% do not have brother. Only 11.6 % of the girls were such whose brothers too weren't going to school. This shows the differential treatment that girls education get when rest of the conditions are similar for both girls and boys.

Out of School Girls who had never been enrolled

Table 3.1: Reasons for girls never enrolled (in percentage)

Financial problem	Do not get married	Distance	Child labour	Household work	School Unacceptance
12.90	3.23	6.45	9.68	64.52	3.23

तालिका 3.1 उन कारकों को दर्शाती है, जिनके कारण लड़कियों का विद्यालयों में कभी भी नामांकन नहीं हो पाया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि संकलित कहानियों में 19 प्रतिशत लड़कियां ड्रापआउट रहीं जबकि 81 प्रतिशत वैसी लड़कियां हैं जो कभी विद्यालय गई ही नहीं। इस प्रकार ड्रापआउट लड़कियों की तुलना में उन लड़कियों की संख्या कहीं बहुत ज्यादा है जो कभी विद्यालय नहीं गई।

तालिका से यह भी स्पष्ट है कि 64.52 प्रतिशत लड़कियां घरेलू कार्यों में संलग्न होने के कारण कभी विद्यालय पढ़ने नहीं जा सकीं। कहानी संकलन के दरम्यान इन लड़कियों ने बताया कि चूंकि घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था इस कारण वह भी विद्यालय नहीं जा सकीं। कई ऐसे दृष्टांत मिले हैं जिसमें यह पता चला कि लड़कियों को घरेलू कार्यों में व्यस्त रखा गया तथा उसी घर में उनके भाइयों को विद्यालय भेजा गया।

अध्ययन में यह पाया गया कि लगभग 12.90 प्रतिशत लड़कियां ऐसी थीं जो वित्तीय परेशानियों के कारण कभी भी विद्यालय नहीं जा सकीं। लड़कियों का विद्यालय में नामांकन न हो पाने के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारण रहे जैसे विद्यालयों की घर से दूरी, विद्यालयों द्वारा नामांकन की अस्वीकृति और यह धारणा कि जो लड़कियां पढ़-लिख जाती हैं उनकी शादी करने में परेशानी होती है।

ग्राफ 3.1 : नामांकन नहीं होने के बाद संलग्नता

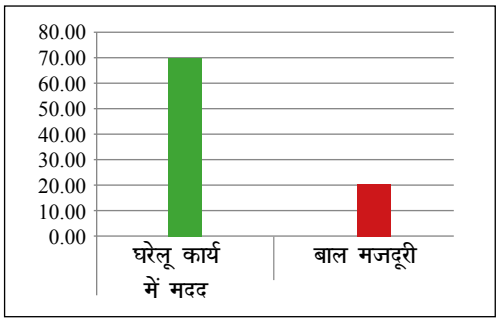

ग्राफ 3.1 यह दर्शाता है कि जिन लड़कियों का दाखिला विद्यालयों में नही हुआ है वो या तो घरेलू कार्यों में संलग्न हो जाती हैं या फि बाल मजदूरी में झोंक दी जाती हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि लगभग 70 प्रतिशत से ज्यादा लड़कियां घरेलू कामकाज में व्यस्त हो जाती हैं और जब उनके माता-पिता घर से बाहर जीविकोपार्जन के लिए जाते हैं तो घर पर छोटे भाई-बहनों की देखभाल में अपना धयान लगाती हैं। शेष 29 प्रतिशत लड़कियां बाल मजदूरी करती हैं जिनमें से ज्यादातर दूसरे के घरों में घरेलू नौकरानी का काम करती हैं।

विद्यालय से बाहर बच्चे (लड़के) : ड्रापआउट

तालिका 4.1 : लड़कों के द्वारा विद्यालय से ड्रापआउट के कारण तथा प्रतिशत

विद्यालय से बाहर लड़के : ड्रापआउट				
वित्तीय समस्या (बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत्)	पलायन	घरेलू कार्य	जागरूकता का अभाव	जातिगत भेदभाव
52.38	4.76	4.76	28.57	9.52

ग्राफ 4.1 : ड्रापआउट के कारण

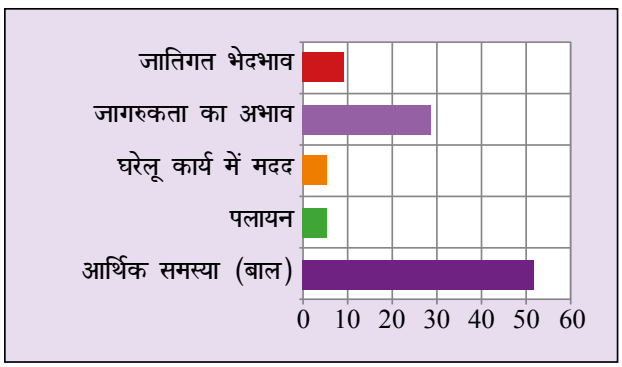

तालिका 4.1 और ग्राफ 4.1 लड़कों द्वारा विद्यालय से ड्रापआउट के कारण दृष्टिगोचर होते हैं वह लड़कियों के ड्रापआउट होने से भिन्न हैं। 52.38 प्रतिशत लड़कों ने आर्थिक परेशानियों के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इन बच्चों ने पढ़ाई छोड़कर मजदूरी प्रारंभ की। अर्थात वे बाल मजदूरी में लिप्त हो गए। अध्ययन के दौरान ड्रापआउट लड़कों में से 28.57 प्रतिशत को शिक्षा की आवश्यकता तथा शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत अपने अधिकारों की जानकारी नही थी। 10 प्रतिशत ड्रापआउट लड़कों ने यह बताया कि शिक्षकों द्वारा या अन्य सहपाठियों द्वारा जाति के आधार पर भेदभाव के कारण उन्होंने

Table 3.1 shows the reason behind the girls who have never enrolled in schools. Of the total cases, percentage of girls who dropped out of the school was 19% and 81% of the girls were ones who were never enrolled in school. It is to be seen that the percentage of girls who have never been enrolled in much higher that the girls who have dropped out.

It can be seen in the table that 64.52% of the total girls who never got enrolled was due to their involvement in the household work. The respondents said that they could not get enrolled as there was no one in family to take care of the household. In many cases, girls were not allowed to go to school and were involved in household work whereas the brothers were sent to school. Financial reason was found to be another reason for girls not going to school. It was seen that 12.90% of the total respondents never got enrolled due to lack of financial resources. Other reasons that were found for girls not getting enrolled were the school unacceptance, distance from school and the perception that girls who are educated do not get married easily.

Graph 3.1: Engagement of never enrolled girls (percentage)

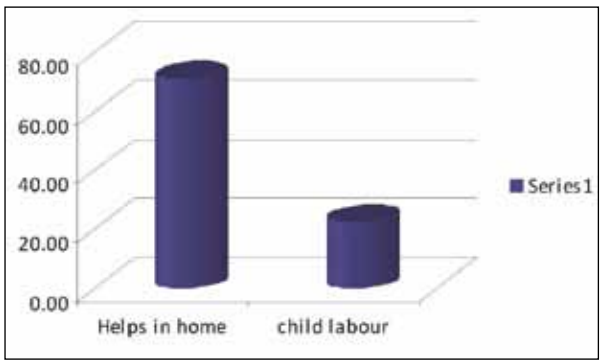

The graph 3.1 shows what do the girls who have not been enrolled engage in if not go to school. The graph shows that more than 70% of the girls helps in their home and household work. They are mostly taking care of their younger siblings while parents go to work. Another 30% girls work as child labour of which mostly work as domestic worker.

Out of School Children (Boys): Drop Out

Table 4.1: Reasons behind boys dropping out (in percentage)

Out of school Boys : Drop Out				
Reason for Drop out				
Financial problem (works as child labour	Migration	Household work	Lack of Awareness	Caste Discrimination
52.38	4.76	4.76	28.57	9.52

Table 4.1 and graph 4.1 shows that the reasons for boys to drop out are different from that of girls. It can be seen that 52.38% of the boys dropout due to financial problem in their families. They not only drop out of the school but they also get engaged as child labour. 28.57% of the total respondents dropped out of school as they aren't aware about the importance of education and also parents aren't aware about their rights to free and compulsory education. Almost 10% of the respondents said that they have to face caste discrimination in the school either by teachers or by

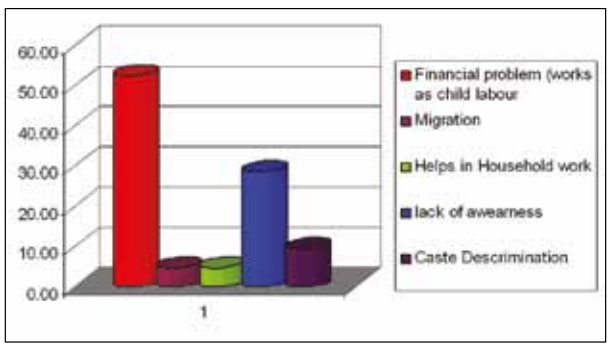

पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। ड्रापआउट का एक कारण पलायन भी है किंतु पलायन को ड्रापआउट के प्रमुख कारण के रूप में नही बताया गया। इसका मुख्य कारण यह है कि चुने गए अध्ययन क्षेत्र में यह सर्वेक्षण तब हुआ जब बहुत सारे परिवार पहले ही जीविकोपार्जन हेतु पलायन कर चुके थे।

तालिका 4.2 : ड्रापआउट के बाद लड़कों की संलग्नता

बच्चा क्या करता है ?		
बाल श्रम	घरेलू कार्य में मदद	कुछ भी नहीं करता
61.90	9.52	28.57

जैसा कि तालिका संख्या 4.2 के आंकड़ों से स्पष्ट है कि ड्रापआउट लड़कों में से 61.90 प्रतिशत लड़के ऐसे हैं जो कि बाल मजदूर बन जाते हैं और 28.57 लड़के कुछ नही करते हैं। 9.52 प्रतिशत ड्रापआउट लड़के घरेलू कार्य में लग जाते हैं।

विद्यालय से बाहर लड़के जिनका नामांकन कभी नहीं हुआ

ड्रापआउट बच्चों की कहानियों में चौथा वर्गीकरण उन बच्चों का है जिनका नामांकन विद्यालय में कभी नहीं हुआ।

तालिका 5.1 : विद्यालय से बाहर बच्चे (लड़के) – जो कभी नामांकित नहीं हुए

विद्यालय न जाने के कारण	
वित्तीय (बाल मजदूर के रूप में कार्यरत्)	घर में मदद
83.33	16.67

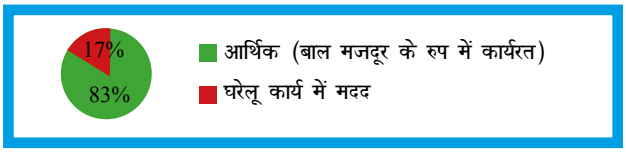

तालिका संख्या 5.1 एवं चार्ट 5.1 लड़कों के विद्यालय नही जाने के कारणों को दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि जिन लड़कों का नामांकन विद्यालय में कभी नहीं हुआ है उनमें से 83.33 प्रतिशत लड़के ऐसे हैं जो बाल मजदूरी में लगे हुए हैं। इसके पीछे यह कारण पता चलता है कि यह बच्चे विद्यालय जाने में अक्षम क्यों रहे। इसी वर्ग के 16.67 प्रतिशत लड़के घरेलू कार्यों में लगे हुए हैं।

तालिका 6.1 : गैर नामांकित एवं ड्रापआउट बच्चे

	संख्या	प्रतिशत
	लड़कियां	
कभी नामांकित नहीं हुई	31	81.58
ड्रापआउट	7	18.42
कुल	38	
	लड़के	
कभी नामांकित नहीं हुए	7	25.00
ड्रापआउट	21	75.00
कुल	28	
ड्रापआउट के कुल केस	66	

उपरोक्त तालिका 6.1 कुल ड्रापआउट बच्चों से संबंधित है। यहां यह देखा जा सकता है कि कुल 38 लड़कियों (जिनका साक्षात्कार लिया गया) में से 81.58 प्रतिशत लड़कियां ऐसी थीं जिनका दाखिला विद्यालय में कभी नहीं हुआ, जबकि शेष 18. 42 प्रतिशत लड़कियां ड्रापआउट की श्रेणी में हैं। इसके विपरीत हम यह पाते हैं कि लड़कों में से 75 प्रतिशत ऐसे हैं जोकि ड्रापआउट की श्रेणी में आते हैं और 25 प्रतिशत ऐसे हैं जिनका नामांकन विद्यालय में कभी नहीं हुआ। यहां तक कि लड़के और लड़कियों के ड्रापआउट के कारणों एवं विद्यालय में कभी भी नामांकन नहीं होने के कारणों में भी अंतर पाया गया है।

the school mates and this is one of the reasons for their dropping out. Migration was also reason given by few of the respondents. Not many gave migration as the reason behind the dropping out also because the study was conducted during the time when families had already migrated for work. Unlike girls' reasons where most of the girls dropped out as they had to look after their house and younger brothers and sisters, boys mostly dropped out to be working as child labour.

Table 4.2: Engagement of boys who dropped out (in percentage)

What does the child do?		
Child labour	Household work	Doesn't do anything
61.90	9.52	28.57

After knowing the reason for dropping out of the schools, the respondents were asked about what they are engaged in if not going to school. It was found that more than 60% of the children are engaged in child labour and another huge percentage (28.57%) do not do anything. When these children were asked if they help their parents/ family in household work, they said that they don't. It is worth noting that lack of awareness regarding education and other push factors are leading to great number of drop outs from the elementary education.

Out of School boys who had never been enrolled

The fourth category in the stories of drop out children is of the boys who have never been enrolled.

Table 5.1: Boys never enrolled (in percentage)

Out of school children Boys- Never Enrolled	
Reason for not going to school	
Financial (works as child labour)	Helps in home
83.33	16.67

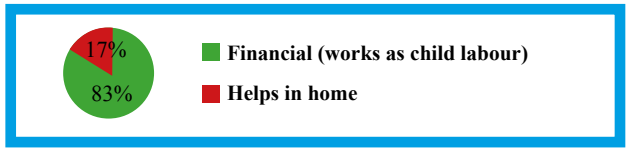

Table 5.1 and chart 5.1 shows the reasons for boys never enrolled in school. 25% of the total boys never been entrolled. It can be seen that 83.33% of the total boys who have never been enrolled to the school are working as child labour and it bring the reason behind them not being able to go to school. 16.67% of the boys who have never been enrolled are looking at the household works.

Table 6.1: Children either never enrolled or dropped out

	Number	Percentage
Girls		
Never Enrolled	31	81.58
Drop Out	7	18.42
Total	38	
Boys		
Never Enrolled	7	25.00
Drop Out	21	75.00
total	28	
Total cases of Drop out	**66**	

The table above shows the total number of the drop out cases. It can be seen that of the total number of girl respondents, 81.58% of the girls are never enrolled and rest 18.42% dropped out. Contrary to that, one can see that 75% of the total numbers of boy respondent are dropped out and 25% are never enrolled. Even the reasons of boy never enrolled or dropping out are different from that of reasons for girls never enrolled or drop out.

सफलता की कहानियाँ : बच्चे जो वापस विद्यालय में लाए गए

इस अध्ययन का एक मुख्य उद्देश्य यह भी रहा है कि उन सफल प्रयासों/अभ्यासों को भी सामने लाया जाए जिनके द्वारा बच्चों को पुन: विद्यालय से जोड़कर मुख्यधारा में लाया गया। इन सफल प्रयासों के संग्रहण का उद्देश्य यह है कि ये प्रयास एक मॉडल की तरह उभरें और उन कारकों की पहचान की जाए जो बच्चों को वापस विद्यालय से जोड़ने में सक्षम रहे हैं।

रिपोर्ट का यह भाग कुल 76 ऐसी कहानियों को आधार बनाकर तैयार किया गया है जिनमें विभिन्न संस्थाओं/कार्यकर्ताओं के प्रयासों से तमाम चुनौतियों के बावजूद भी बच्चों को वापस विद्यालय में लाया गया। इन सफलता की कहानियों को भी चार वर्गों में बांटा गया है।

- लड़के जिनका नामांकन कभी नहीं हुआ था और उन्हें विद्यालय से जोड़ा गया।
- वैसे लड़के जो ड्रापआउट हैं और जिन्हें वापस विद्यालय में लाया गया।
- वैसी लड़कियां जिनका कभी भी नामांकन नही हुआ था और उन्हें विद्यालय से जोड़ा गया तथा
- वैसी लड़कियां जो ड्रापआउट थीं और उन्हें वापस विद्यालय से जोड़ा गया।

निम्नलिखित तालिका इन सभी श्रेणी के बच्चों की संख्या दर्शाती है –

	संख्या	प्रतिशत
	लड़कियां	
कभी नामांकित नहीं हुई	15	33.33
ड्रापआउट	30	66.67
कुल	45	
	लड़के	
कभी नामांकित नहीं हुए	11	32.35
ड्रापआउट	23	67.65
कुल	34	
ड्रापआउट के कुल केस	79	

ड्रापआउट लड़कों की सफलता की कहानियां

तालिका 7.1 : लड़कों द्वारा ड्रापआउट के कारण

वित्तीय समस्या	भेदभाव	शिक्षक नहीं पढ़ाते	प्रोत्साहन की कमी	पलायन	कोई प्रतिक्रिया नहीं
47.83	8.70	8.70	13.04	17.39	4.35

उपर्युक्त तालिका 7.1 से लड़कों के ड्रापआउट होने के कारणों का पता चलता है। साक्षात्कार के दौरान सबसे ज्यादा बच्चों ने वित्तीय परेशानियों को विद्यालय से ड्रापआउट होने का कारण बताया। ये सभी बच्चे वापस विद्यालय में लाए गए हैं। ड्रापआउट होने का दूसरा प्रमुख कारण पलायन रहा है। इस समस्या को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की समुचित जानकारी देकर दूर किया जा सकता है। पढ़ाई के प्रति उत्साह के अभाव के कारण 13.04 प्रतिशत लड़कों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। विद्यालय में बच्चों से भेदभाव तथा शिक्षकों द्वारा अध्यापन में रूचि के अभाव भी उन कारणों में आते हैं जिससे लड़के ड्रापआउट होते हैं।

Success Stories:
Children who have been brought back to school

One of the objectives behind conducting this study was also to bring out good practices of mainstreaming out of school children to Education. The mapping of all those efforts that have brought children back to school so that it can serve as model for others to follow and also would bring out factors that help in bringing children to school.

The report covers 79 such cases where children have been brought back to school with an effort of some organization/individual against all the odds.

The success stories too have been divided into four categories. First category is that of boys who were never enrolled and been brought back to school, second is that of boys who have dropped out and have been brought back to school, thirdly of the girls who were never enrolled and have been brought to school and fourthly of the girls who dropped out and have been mainstreamed to Education.

The table below shows the number of children in all the categories:

	Number	Percentage
Girls		
Never Enrolled	15	33.33
Drop Out	30	66.67
Total	45	
Boys		
Never Enrolled	11	32.35
Drop Out	23	67.65
total	34	
Total success stories	**79**	

Success Stories of Boys Who Dropped Out

Table 7.1: Reasons behind boys drop out (in percentage)

Reason for Drop out					
Financial Problem	**Discrimination**	**Teachers don't teach**	**Lack of Encouragement**	**Migration**	**No response**
47.83	8.70	8.70	13.04	17.39	4.35

Table 7.1 shows the reasons why boys had dropped out. The largest proportion of the total number of respondents said that they had to drop out because of financial problems. These boys have been brought back to school. Another reason that leads to drop out of children was migration. This can be dealt with generating awareness about the provision of getting admission anywhere in any school in any part of the country. Another reason why children had dropped out was lack of encouragement amongst children (13.04%). Other two important factors that were identified are discrimination that child has to face in schools and also lack of interest of teachers in teaching which discourages children from going to school.

ग्राफ 7.2 : ड्रापआउट का कक्षावार व्यौरा

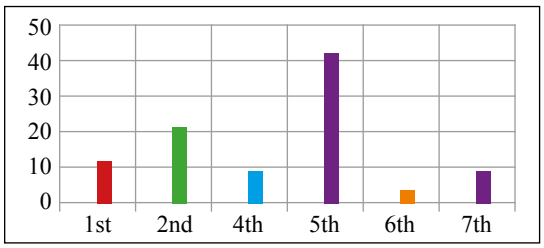

ग्राफ 7.2 से यह पता चलता है कि ज्यादातार ड्राप आउट पांचवीं कक्षा के बाद हुए हैं। लगभग 87 प्रतिशत ड्राप आउट छठी कक्षा में नांमाकन से पहले हुए हैं और 44 प्रतिशत ड्रापआउट तो सिर्फ पांचवीं कक्षा में ही हुए हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि कुल ड्राप आउट बच्चों में से 70 प्रतिशत बच्चे बाल मजदूरी में लग गए। 12 प्रतिशत बच्चे भवन निर्माण कार्य में और 18 प्रतिशत बच्चों के बारे में जानकारी नहीं है।

तालिका 7.3 : विद्यालय में पुनर्नामांकन के कारण

जागरूकता बढ़ना	जनसुनवाई	बच्चों को प्रोत्साहन	शिक्षक के प्रयास
47.83	4.35	30.43	17.39

इस तालिका 7.3 से यह स्पष्ट है कि बच्चों को पुन: वापस विद्यालय से जोड़ने में शिक्षकों और अभिभावकों के बीच शिक्षा के अधिकार को लेकर जागरूकता फैलाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिन बच्चों को वापस इस विद्यालय से जोड़ा गया उनके अभिभावकों ने यह बताया कि वह बच्चों के शिक्षा के अधिकार अधिनियम से अवगत नहीं थे। बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साहवर्धन करके 30.43 प्रतिशत बच्चों को वापस विद्यालय से जोड़ा गया। नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर जनसुनवाई की गई थी। इन जनसुनवाइयों के माध्यम से भी कई माता-पिता व बच्चों में जागरूकता आई जिसके बाद वह पुन: स्कूल से जुड़ सके। शिक्षकों के द्वारा किये गए प्रयास भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरे जिनसे ड्राप आउट बच्चे पुन: विद्यालय आए। 17.39 प्रतिशत बच्चे शिक्षकों के प्रयास से वापस विद्यालय आए। संग्रहित कहानियों में से एक कहानी ऐसी भी है जिसमें एक ड्रापआउट बच्चे को बाल मजदूरी करते हुए देखकर शिक्षक उसके घर गए और उन्होंने उस बच्चे और माता-पिता से बात की तथा उस बच्चे का नामांकन पुन: उस विद्यालय में कराया। इस समय वह बच्चा मेहनत से अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है।

सफलता की कहानियां : लड़के जिनका नामांकन कभी नहीं हुआ था

ग्राफ 8.1 विद्यालय न जाने का कारण

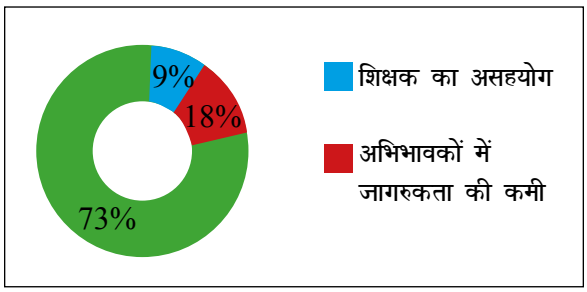

रिपोट के इस भाग में उन लड़कों की कहानियों को लिया गया है जिनका नामांकन तो विद्यालय में कभी नहीं हुआ लेकिन वि. भन्न प्रयासों के द्वारा उनको वापस विद्यालय में लाया गया। जिन लड़कों का नामांकन विद्यालय में कभी नहीं हुआ इसके कारणों की पड़ताल करने पर यह तथ्य उभरकर आया कि 70 प्रतिशत से ज्यादा लड़के आर्थिक संकट के कारण कभी विद्यालय नही जा पाए। अन्य कारणों में माता-पिता अथवा अभिभावकों में शिक्षा के महत्व के प्रति अज्ञानता, शिक्षकों का असहयोगात्मक रवैया मुख्य कारण रहे जिनके कारण लड़कों का नामांकन कभी विद्यालय में नही हो पाया। कुछ ऐसे भी उदाहरण आए जहां यह देखा गया कि आयु प्रमाणपत्र (शिक्षा अधिकार के तहत वैसे प्रमाणपत्र जिनकी जरूरत नही है) के अभाव में भी शिक्षकों द्वारा नामांकन नहीं किया गया।

यद्यपि इस तरह के उदाहरण में आंकड़ों की सीमाओं के बावजूद यह बात मुख्य रूप से उभरती है कि अधिकतर बच्चों को वापस स्कूल से जोड़ने में अभिभावकों के बीच शिक्षा अधिकार अधिनियम की जानकारी और जागरूकता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहां भी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने से वह विद्यालय से जुड़ सके। कुछ मामलों में शिक्षकों के द्वारा बच्चों के उत्साहवर्धन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Graph 7.2 : Which standard did the boys drop out?

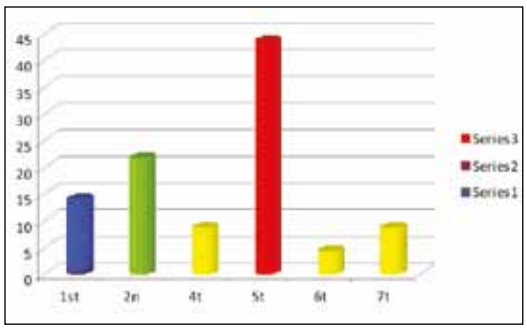

Graph 7.2 shows that most of the drop out has been after passing 5th standard. Almost 87% of the boys dropped out in before getting admission in sixth standard of which 44% of the children dropped out in standard 5th itself.

It is also seen that 70% of the children who dropped out got involved into child labour, 12% are not involved in anything constructive and 18% of the stories doesn't talk about child's engagement.

Table 7.3: Reasons that brought boys back to school (in percentage)

Back to school (reason)			
Generating awareness	**Public Hearing**	**Encourage Child**	**Teachers Efforts**
47.83	4.35	30.43	17.39

Table 7.3 shows that generating awareness amongst parents/guardians has been the most important step towards bringing back children to school. The parents of the children who were brought back to school said that they were unaware about the educational rights that children have regarding free and compulsory education. Many organizations took initiative of encouraging children to get back to education and this brought many children back to school. Almost 30.43% of the boys who have been brought back to school were through encouragement. Few public hearings that was conducted by National Coalition for Education (NCE) (in few of the district NCE had conducted public hearing on RTE) also generated awareness amongst many parents the students and brought them back to school. Another important factor that helped in getting boys back to school was efforts taken by teachers. 17.39% children were brought back by teachers' efforts. In one of the stories, the teacher went to the child's house when he saw him working as a child labour. He talked to the child and encouraged him to come back to school. He also convinced the parents to send their child to school. The boy is in school, studying hard and enjoying his education.

Success stories of boys who were never enrolled

Graph 8.1: Reasons behind boys not going to school

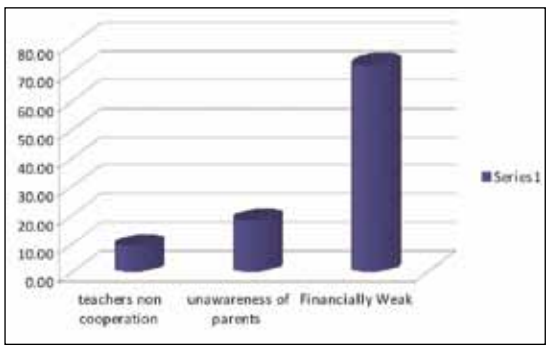

The study covers success stories of such boys who were never enrolled but were brought to education by some efforts. On looking at the reason behind the boys not going to school it was found the financial problem was reason for more than 70% of the children. Another reason was the unawareness amongst parents. Teachers' non cooperation was also a reason behind children never been enrolled to school. Few respondents said that teachers did not admit them as they could not produce relevant certificates (which aren't required as per the RTE Act).

With limitation of data in this particular category, the successful efforts could not be detailed upon. However, the data that is available shows that most of the boys were brought back to school by generating awareness amongst parents regarding RTE and educational rights of children. Here too, motivating children helped in getting them to schools. In many cases, teachers' encouragement played important role.

सफलता की कहानियां उन बच्चियों की जिन्होंने बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया (ड्रापआउट)

तालिका 9.1 : ड्रापआउट के कारण

माता-पिता में जानकारी का अभाव	पलायन	वित्तीय	घरेलू कार्य	बाल मजदूरी	स्वास्थ्य	शिक्षकों का असहयोग	परम्परा
6.67	10	26.67	36.67	3.33	6.67	6.67	3.33

तालिका 9.2 : विद्यालय में पुनर्नामांकन – प्रयासकर्ताओं का प्रतिशत

सामुदायिक संगठन	अतिरिक्त सहयोग (ब्रिज कोर्स)	जागरूक अभिभावक	शिक्षक / विद्यालय	अन्य शिक्षित लड़कियों द्वारा प्रोत्साहन	बच्चे को प्रोत्साहन
3.33	13.33	36.67	20	3.33	20

उपरोक्त दो तालिकाओं में पहली तालिका में बच्चियों के ड्रापआउट होने के कारणों को दर्शाया गया है और दूसरी तालिका के द्वारा इन लड़कियों को पुन: विद्यालय वापस लाने के प्रयासों को दर्शाया गया है। तालिका 9.1 से यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक लड़कियां घरेलू कार्यों में संलग्न होने के कारण विद्यालय से सर्वाधिक ड्रापआउट हुई। 36.67 प्रतिशत लड़कियों ने बताया कि घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। लड़कियों के ड्रापआउट होने के दूसरे कारणों में आर्थिक संसाधनों की कमी भी एक प्रमुख कारण रही। अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि 26. 67 प्रतिशत लड़कियों ने वित्तीय संकट के कारण विद्यालय छोड़ा।

संग्रहित कहानियों से उभरकर आए अन्य कारणों में अभिभावकों में लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव, लड़कियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पलायन, शिक्षकों से असहयोग और अन्य परम्परागत बाधाएं प्रमुख रहे।

नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन के साझीदार संगठनों के द्वारा जमीनी स्तर पर इन ड्रापआउट बच्चियों को वापस विद्यालय से जोड़ा गया। एक जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वह था लड़कियों की शिक्षा के महत्व और उनके शिक्षा अधिकार के बारे में अभिभावकों को जागरूक करना। इस उपाय के द्वारा 36.67 प्रतिशत ड्रापआउट बच्चियों को पुन: विद्यालय भेजा गया। ड्रापआउट बच्चियों को पुन: विद्यालय भेजने में शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुल 20 प्रतिशत ड्रापआउट बच्चियों को शिक्षकों के प्रयास के द्वारा वापस विद्यालय से जोड़ा गया। अन्य 20 प्रतिशत बच्चियों को सहयोगी संस्थाओं द्वारा शिक्षा के प्रति उत्साहवर्धन और प्रेरित कर विद्यालय से जोड़ा गया। कुछ क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकार द्वारा चलाए जा रहे ब्रिज कोर्स के संचालन के कारण लड़कियां वापस विद्यालय से जुड़ीं। इस श्रेणी में 13.33 प्रतिशत लड़कियां जुड़ी।

सफलता की कहानी : उन लड़कियों की जिनका विद्यालय में कभी नांमाकन नहीं हुआ

तालिका 10.1 विद्यालय में नामांकन न होने के कारण (प्रतिशत में)

पलायन	6-67
घरेलू कार्य	26.67
जागरूकता का अभाव	20.00
शिक्षकों का असहयोग	6.67
वित्तीय समस्यायें	33.33
विद्यालय/शिक्षक (अनुपलब्धता)	6.67

तालिका संख्या 10.1 स्कूल में कभी भी नामांकित न होने वाली बच्चियों के कारणों को दर्शाती है। यहां भी घरेलू कारणों में संलग्नता (26.67 प्रतिशत), वित्तीय संसाधनों का अभाव (35.33 प्रतिशत) और जागरूकता का अभाव (20 प्रतिशत) उन मजबूत कारकों के रूप में दिखाई देते हैं जिनके कारण बच्चियां स्कूल में नांमाकित नहीं हो पाई।

Success of Stories of the Girls who had dropped out

Table 9.1: Reasons for dropping out of girls

Reasons for drop out							
Unawareness amongst parents	Migration	Financial	House hold work	Child labour	Health	Teacher non cooperation	Tradition
6.67	10	26.67	36.67	3.33	6.67	6.67	3.33

Table 9.2: Efforts that brought back girls to school

Efforts that brought back children to school					
CSO	Extra support (Bridge course)	Awareness parents	Teacher /school	Encouragement by Other educated girls	Child Encouraged
3.33	13.33	36.67	20	3.33	20

Above given are two tables, table 9.1 shows the reason for girls dropping out of the school and table 9.2 shows the efforts taken to bring those girls back to school.

Table 9.1 shows that maximum number of girls dropped out as they had to look after the household work. 36.67% of the girls said that they dropped out as they had to take up the responsibility of looking after the house hold work. Another problem that leads to huge number of girls dropping out was lack of financial resources. It is seen that 26.67% of the girls dropped out as there was a lack in financial resources. Other reasons that came out through the stories collected were unawareness amongst parents, health issues of girls, migration, non cooperation of teachers and also traditional barriers.

Partner organizations of NCE worked on mainstreaming these girls back to education and one of the strongest step taken was generating awareness amongst parents regarding the importance of girl child education and also regarding the educational rights of children. 36.67% of the total girls who were brought back to school were through generating awareness amongst parents. Another factor that brought the girls back to school was through teacher's support. In many cases teachers took up the task of bring children back to school. 20% of the girls who got enrolled were brought back by the efforts of teachers. Another 20% of the girls were encouraged and this encouragement and motivation towards education helped them in enrolling back into school. Bridge courses run in few areas, either by an NGO or by government in the school helped bringing 13.33% of the girls back to school.

Table10.1: Reasons for not enrolling

Reason for not going to school	
Migration	6.67
Household works	26.67
Lack of Awareness	20.00
Teacher non cooperation	6.67
Financial Problems	33.33
School/teachers (Unavailable)	6.67

Table 10.1 shows the reasons behind the girls never enrolled in schools. Here too, involvement in household works (26.67%), lack of financial resources (33.33%) and lack of awareness (20%) have been seen as the strongest factors which keep girls from getting enrolled in the schools.

तालिका 10.2 प्रयास : विद्यालय में नामांकन के कारण

प्रयास	प्रतिशत
अभिभावकों में जागरूकता (सामुदायिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रयास से)	33.33
जनसुनवाइयों के माधयम से जागरूकता	33.33
शिक्षकों के प्रयास	26.67
बच्चों को प्रेरित करना	6.67

तालिका संख्या 10.2 इन बच्चियों को विद्यालय में नामांकित कराने के प्रयासों का उल्लेख करता है। यहां यह उल्लेखित करना महत्वपूर्ण होगा कि बहुत सारी कहानियां इस अध्ययन में उन क्षेत्रों से ली गई हैं जहां नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन के द्वारा जन सुनवाई के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम पर लगातार पैरोकारी की जाती रही है। इसके द्वारा क्षेत्र विशेष में फैली जन जागरूकता के कारण भी अधिकतर बच्चियों का नामाकंन विद्यालय में हो सका। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 33.33 प्रतिशत लड़कियां जनसुनवाई के बाद विद्यालय में नामांकित हुई। लड़कियों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों में आई जागरूकता ने लड़कियों के विद्यालय में नामांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्ययन से यह भी पता चलाता है कि लड़कियों को विद्यालय से जोड़ने में शिक्षकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही जो कि प्रशंसनीय है। यद्यपि इस अध्ययन में शिक्षा के प्रति लड़कियों में उत्साहवर्धन के द्वारा लड़कियों को विद्यालय में नामांकित कराने के उदाहरण कम (6.67 प्रतिशत) ही रहे हैं लेकिन पहले से ही यह देखा जा रहा है कि लड़कियों को विद्यालयीय शिक्षा से जोड़ने में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है।

निष्कर्ष

यद्यपि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर है किंतु इस कानून का क्रियान्वयन पूर्णत: असंतोषजनक रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन की असंतोषजनक स्थिति को देखकर उन लोगों को घोर निराशा होगी जिन्होंने इस अधिनियम (कानून) के माध्यम से देश में एक ऐसी नई पीढ़ी के उद्भव का सपना देखा है जिनके लिए शिक्षा का अधिकार सार्वभौमिक रूप से मौलिक अधिकार होगा।

यह रिपोर्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन की जमीनी सच्चाई को दर्शाता है। साथ ही इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि यदि इस महत्वपूर्ण कानून को प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वित किया गया तो इस देश में शिक्षा की तस्वीर बदल सकती है।

इस रिपोर्ट से निकलकर आए चार महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार है -

- विभिन्न स्तरों पर पाया जाने वाला लिंगभेद
- बच्चों की शिक्षा में अवरोधक के रूप में परिवार की खराब/अस्थायी वित्तीय स्थिति
- माता-पिता/अभिभावकों में जागरूकता का अभाव
- अप्रगतिशील सामाजिक परंपराएं

इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि सर्वेक्षण में ज्यादातर बच्चे उन परिवारों से रहे जिनके माता-पिता दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। इस रिपोट में ऐसी पृष्ठभूमि के बच्चे 92 प्रतिशत हैं। दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्य करने वाले माता-पिता/अभिभावकों का कहना है कि वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नही हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें। साथ ही इनका यह भी कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत प्रदान की जाने वाली मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं। दोनों ही स्थितियों में यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की ही विफलता है। राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के बारे में जनता में जागरूकता का

Table 10.2: Reasons that mainstreamed children back to school

Efforts (reasons for coming back to school)	
Increasing Parents awareness (CSOs efforts)	33.33
Awareness through Public hearing	33.33
Teachers efforts	26.67
Child encouragement	6.67

Table 10.2 shows the efforts that played vital role in bringing out of school children to school. Here, it would be important to mention that many stories were collected from the areas where NCE has been advocating for right to free and compulsory education for the children belonging o the age group of 10-14 through conducting public hearing. It is for this reason that many girls who have been enrolled in school were through awareness that was generated by the public hearings which were held in these areas. It can be seen that 33.33% of the girls got enrolled after the public hearing. Awareness amongst parents regarding the importance of education plays another important role in getting girls into schools. It was seen through the study that teacher efforts in bringing girls to school is also very strong and it is a matter of appreciation. Though child encouragement shows only 6.67% in the stories covered under this category but it has been seen earlier that it too is a very important factor in bringing girls towards education.

CONCLUSION

RTE act, 2009 is a landmark in the history of Indian Education and its intention to provide free and compulsory education to every child of India, irrespective of the gender, class, caste, ethnicity and religion. However, the status of its implementation has been a disappointment for those who hoped that its translation to reality would bring this country a whole new generation, generation which has been able to avail education as their fundamental right.

The report reflects the ground reality of the implementation of the Act and simultaneously suggests that if implemented, it has the capacity to change the education picture of the country.

The core issues that are reflected from the report are:

1. Gender discrimination at different levels.
2. Financial instability of families leading to children not being educated.
3. Lack of awareness amongst parents.
4. Unprogressive social norms.

Report also brings out the fact that most of children (both boys and girl) belong to the family where parents work as daily wage laborers. The report shows that 92 of 145 parents work as daily wage laborers. These parents either say that they cannot afford to support their child's education financially or are unaware about the importance of it which can be marked as a failure in the implementation of RTE Act as it principally talks about both the factors; first being free ant compulsory education as a right of every child and also awareness generation as a responsibility of state. If the implementation is put in place, task of enrolling out of school children would be efficiently and effectively accomplished.

प्रचार प्रसार करे। यदि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन कुशल एवं प्रभावी तरीके से किया गया तो विद्यालय से बाहर छूट गए बच्चों का नामांकन विद्यालय में किया जा सकेगा।

यद्यपि इस रिपोर्ट की एक सीमा यह रही है कि जाति, नृजाति और धर्म के आधार पर बच्चों से (शिक्षा के क्षेत्र में) भेदभाव के बारे में आंकड़े इकट्ठे नहीं किए गए हैं तथापि उपलब्ध आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 10 प्रतिशत ड्रापआउट बच्चे (अध्ययन के लिए किए गए साक्षात्कार में) ऐसे रहे हैं जो जाति-भेदभाव के कारण विद्यालय छोड़ा है।

यह रिपोर्ट इस तथ्य को भी रेखांकित करता है कि 80 प्रतिशत लड़कियों का कभी विद्यालयों में नामांकन नही हुआ जबकि 75 प्रतिशत लड़के विद्यालय में नामांकित हुए तो थे किंतु बाद में उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया (ड्रापआउट)। इस ड्रापआउट के पीछे मुख्य कारण वित्तीय संसाधानों की कमी का होना था। आंकड़े यह बताते हैं कि 61.9 प्रतिशत लड़के ड्रापआउट के बाद बाल मजदूर बन जाते हैं। यहां कि वैसे बच्चे जो कभी विद्यालय में नामांकित नहीं हुए उनमें से भी 83.33 प्रतिशत बाल मजदूरी में ही संलग्न होते हैं।

इस रिपोर्ट का दूसरा भाग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से सफलतापूर्वक जोड़ने के प्रभावों से संबंधित हैं। इस रिपोर्ट के आंकड़ों से यह पता चलता है कि शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े गए 87 प्रतिशत बच्चों में से अधिकतर वैसे बच्चे थे जिन्होंने 5वीं कक्षा के बाद विद्यालय छोड़ दिया था। इस ड्रापआउट बच्चों में से 70 प्रतिशत बच्चे बाल श्रम में संलग्न रहे थे।

इन ड्रापआउट बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ने में जिन महत्वपूर्ण कारकों का योगदान रहा वह इस प्रकार हैं-

1. शिक्षा के महत्व के बारे में बच्चों में उत्साहवर्धन तथा मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बारे में बच्चों को जागरूक करना।
2. शिक्षकों की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं प्रयास।
3. लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता का प्रसार।

सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि लड़कियों एवं लड़कों के द्वारा विद्यालय छोड़ने/विद्यालयीय शिक्षा से वंचित रह जाने के बहुत से कारण हैं लेकिन साथ ही अध्ययन (रिपोर्ट) से यह बात भी स्पष्ट होती है कि 'शिक्षा अधिकार कानून, 2009' उपर्युक्त समस्याओं से निपटने के लिए एक मजबूत साधन है। इसके क्रियान्वयन में शिथिलता से शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ापन रह जाएगा। सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का अधिकार कानून के पूर्ण रूप से क्रियान्वयन के माध्यम से इस देश के बच्चों में शिक्षा के माध्यम से संपन्नता लाए।

Though one of the limitations of this report is that it has not been able to analyze issue of discrimination on the basis of casts, ethnicity and religion due to the gaps in data collected, despite this data reveals that 10% of the boys dropped out of school due to caste discrimination they have to face in schools.

The report also bring out the fact that 80% of the girls were never enrolled whereas 75% of the boys were enrolled but dropped out, major reason for this drop out being lack of financial resources. Data reveals that 61.9% of the boys dropping out get engaged as a child labour. Even in that category of out of boys who have never been enrolled, it can be seen that 83.33% of them work as child labour.

Second part of the report brings out the factors facilitating the mainstreaming of children to education. It was seen that 87% of the boys who were later mainstreamed to education had dropped out in or after 5th standard of which 70% got engaged as child labour. Most important factors that helped in bringing back these children to school were:

1. Encouragement of children regarding the importance of education and also about Free and compulsory education being right of every child.
2. Teacher's efforts and willingness.
3. Awareness regarding importance of girl child education

Summing up, there are various factors that lead to dropping out of girls and boys from school and these reasons though have RTE Act as a powerful instrument to deal with, failure in its implementation is costing our country its education standard. It is important for government to strategies the proper implementation of the RTE Act if the intention is prosperity of children of the country through education.

गुरू–शिष्य परम्परा : रामायण प्रसाद और वली हसन

उत्तराखंड के चम्पावत जिले के टनकपुर में गुरू-शिष्य संबंध की एक मिसाल देखने को मिली है। वली हसन ने गरीबी के दुश्चक्र के कारण चौथी कक्षा की पढ़ाई करने के बाद विद्यालय जाना छोड़ दिया था। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने घर के लिए आमदनी के लिए रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। एक दिन राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक श्री रामायण प्रसाद को यह बच्चा रिक्शा चलाता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने वली हसन को रोककर अपना सामान घर छोड़ने को कहा जब वली हसन शिक्षक का सामान घर छोड़ने आया तब शिक्षक ने उससे उसके घर परिवार एवं पढ़ाई के बारे में बात की। बातों ही बातों में यह पता चला कि वली हसन अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है इस पर शिक्षक रामायण प्रसाद ने वली हसन के पिता मो. अली हसन से बात की। पिता और बेटे दोनों को स्कूल में फिर से जाने के लिए प्रेरित किया तत्पश्चात इस बच्चे को कक्षा पांच में पुनः दाखिला दिलवाया गया। आज वली हसन रिक्शा नहीं चलाता बल्कि विद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है और स्कूल की गतिविधियों में सहपाठियों के संग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है।

हमारे समाज में श्री रामायण प्रसाद जैसे शिक्षकों की अत्यंत आवश्यकता है।

(एनसीई की सहयोगी संस्था उत्तरांचल विकास संस्थान आरटीई 2009 पर जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों अभिभावकों तथा शिक्षको को जागरूक कर रही है)

हीरो की कहानी

9 वर्ष का यह बच्चा लखनऊ की एक ग्राम पंचायत मिश्रपुर में रहता है। नट समुदाय के इस बच्चे ने केजी 1 की पढ़ाई करने के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया था। इसके पिता मजदूरी करते हैं तथा सुअर बकरी पालन इस परिवार की जीविका का स्रोत है। गरीबी का सामना तो हीरो को करना ही पड़ा साथ ही विद्यालय में अन्य बच्चों द्वारा जातिसूचक शब्दों के प्रहार से भी इसे जूझना पड़ा। इससे तंग आकर हीरो ने स्कूल जाना छोड़ दिया। इसके पश्चात हीरो सुअर बकरी पालन में परिवार का सहयोग करने लगा।

एनसीई की साझीदार संस्था विज्ञान फाउन्डेशन लखनऊ द्वारा हीरो तथा उसके अभिभावकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में समुचित जानकारी दी गई। सरकार द्वारा मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु दी जा रही सुविधाओं के बारे में सविस्तार बताया गया। विद्यालय जाकर शिक्षकों से वार्ता कर नट समुदाय से संबंधित जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के संदर्भ में भी सूचना दी गई ताकि अन्य बच्चे इसे परेशान न कर सकें। इन सभी प्रयासों से प्रेरित होकर हीरो ने प्राथमिक विद्यालय में पुनः नामांकन कराने का निश्चय लिया। आज हीरो अपने नाम की सार्थकता सिद्ध कर रहा है।

कमलाकर की कहानी

12 वर्षीय कमलाकर अपने माता-पिता और छोटे भाई बहनों के साथ इलाहाबाद के पिपरी गांव में रहता है। यह गांव ब्लाक मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूरी पर राज्य की सीमा पर स्थित है। इलाहाबाद जिले के इस सुदूरवर्ती गांव में कोल समुदाय के अन्य परिवार भी रहते हैं। कमलाकर के पिता छोटेलाल और माता शिवकली गांव के अन्य किसानों के यहां मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते है। यद्यपि इस भूमिहीन परिवार के पास बीपीएल कार्ड है लेकिन इन्हें अनाज हर माह नहीं मिलता। गरीबी और अशिक्षा के कारण छोटेलाल व शिवकली अपने बच्चे की शिक्षा के प्रति उदासीन रहे फलतः कमलाकर विद्यालय छोड़कर बकरी चराने लगा। 23 सितम्बर 2011 को एनसीई तथा बाल कल्याण एवं शोधा संस्थान नैनी, इलाहाबाद के सहयोग से तहसील स्तर पर जनसुनवाई की गई। इसमें शिक्षक, अभिभावक, बच्चे तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस जनसुनवाई में शिक्षा के महत्व तथा शिक्षा अधिकार के प्रावधानों पर चर्चा की गई। कमलाकर के माता-पिता जनसुनवाई से प्रभावित हुए और कमलाकर को विद्यालय भेजना शुरू कर दिया। इसमें स्थानीय नागर समाज तथा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा उत्प्रेरक की भूमिका निभाई गई।

Success Stories

Wali Hasan

Poverty became an impediment for Wali Hassan's education. With not many options left for him, he started to work as a rickshaw puller in order to support his family.

One instance brought a ray of hope in his life. One day , Mr. Ramayan Prasad, a school teacher saw Wali pulling rickshaw and was moved by this. He stopped Wali and asked him to drop his luggage to his place. After reaching home, Mr. Ramayan asked Wali about his family and his education. On being told that Wali had quit education, he asked the reason for him not going to school. He replied that his family cannot afford to send him to school. He also told the teacher that he really want to study but cannot convince his father. He requested Wali to take him to his home. Mr. Ramayan Prasad had a long discussion with his father and made him aware about the fact that under the new Act, education is free and compulsory. He also made him aware about the importance of education. Wali's father, Mr. Ali Hasan finally agreed to send his child to school. Presently, Wali has quit rickshaw pulling and have joined school. He is a very regular and motivated student and participates in curricular as well as extracurricular activities.

Our society need teachers like Mr. Ramayan Prasad who not only realizes right of every child to education but also puts in efforts to encourage children to educate themselves.

Hero

Nine years old Hero, is a resident of Mishrapur, Lucknow. He belongs from Natt community and had quit education after first standard. His father is engaged in piggery and goatry which is the source of his family's income. Hero couldn't afford to go to school and therefore dropped out. Not just financial problem but also caste discrimination led to his exclusion from education. Children in school used caste based derogatory words against him.

NCE, with the help of its partner, Vigyan Foundation, undertakes work of generating awareness amongst community regarding the importance of education. Hero's father was approached by organisation and was told about the provisions of Right to Free and Compulsory Act in detail. He was made aware about importance of education and also about all the entitlements that Hero was entitled to receive. Field workers also went to school and had a talk with teachers. They talked to teachers and told them that caste discrimination was a non acceptable act and that any child should not ever be discriminated on the basis of caste, class, gender, religion and ethnicity. Teacher was also made aware about the sections of RTE Act which talks about non discrimination.

As a result, Hero got readmitted in school and is enjoying his education.

Kamlakar

Twelve year old Kamlakar stays with his mother, father and younger siblings in Pimpri village of Allahabad. This village is 25km from the block office. In this remote village live people from KOL community. Both mother and father of Kamlakar is daily wage labourer. Though his family has a Below Poverty Line card but they hardly receive food grains. This makes it very difficult for family to survive. This made Kamlakar quit education and work as a child labour. National Coaliiton for Education (NCE) with its partner organisation Bal Kalyan avam Shodh Sansthan, Naini, organised a public hearing in this region. This hearing was conducted in the presence of government officials who are responsible for education and was attended by teachers, parents, community members, and social activists. A presentation on Right to Education Act and its provisions was made. Kamlakar's mother and father, after getting aware about the provisions of RTE Act decided to admit their sons and daughters to school. Teachers and local volunteers also helped in taking care of the process of admission of Kamlakar.

आशा की एक किरन – आशा कुमारी

बिहार के रोहतास जिले के मलहीपुर गांव में रहने वाली आशा कुमारी ने अपनी मां की मृत्यु के बाद विद्यालय जाना छोड़ दिया और घर के कामों में व्यस्त हो गई। मात्र 12 वर्ष की इस बच्ची के मन में अपने भविष्य को लेकर कई सपने तो थे और शिक्षा के प्रति ललक भी लेकिन अपने मजदूर पिता (श्री बाली पासी) और तीन अन्य भाइयों की निम्न आय तथा अत्यधिक, खर्च के कारण अपनी पढ़ाई पूरी करने के सपने को मन में ही दबा लिया। परिवार के अन्य सदस्यों में भी आशा की पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी गम्भीरता नहीं थी। ऐसे में जब एनसीई की सहयोगी संस्था जन अधिकार केन्द्र के द्वारा ड्रापआउट बच्चों का सर्वेक्षण किया जा रहा था तब आशा व उसके भाइयों को शिक्षा अधिकार 2009 के प्रावधानों की जानकारी हुई। संस्था द्वारा बच्चियों की शिक्षा के बारे में आशा के पिता व भाइयों को समझाया गया। साथ ही विद्यालय के शिक्षक से भी बात की गई। तत्पश्चात आशा का विद्यालय में पुनः नामांकन हुआ और अब आशा रोज स्कूल जाती है-एक नए सपने के साथ।

शिक्षा से वंचित काजल– समाज की साझी चुनौती

10 वर्षीय नटखट बच्ची काजल का कसूर सिर्फ इतना है कि वह एक पत्थर तोड़ने वाले माता-पिता की संतान है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के बोदरवार में रहने वाले सुरेश और गुजराती देवी की सबसे बड़ी काजल है। काजल कभी भी स्कूल नहीं जा सकी। काजल के माता पिता पत्थर काटने का काम करते है तथा गांव-गांव घूमकर सिल-मोढ़ा बेचने का काम करते है। इनके पास कोई स्थायी घर नही है और रहने के लिए घर के नाम पर बिना दरवाजे की सिर्फ फूस की छत है।

सरकार द्वारा ऐसे ही परिवारों के लिए इन्दिरा आवास योजना चलाई जा रही है किन्तु इस परिवार को इसका भी फायदा नहीं मिला। इनके पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है जिससे ये सस्ते दर पर अनाज पा सकें। अब संस्था द्वारा काजल की शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य प्रशासनिक विभागों से भी सम्पर्क किया जा रहा है ताकि इस बेघर परिवार को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाया जा सके। इससे यह घुमन्तू परिवार स्थायी रूप से एक जगह रह सकेगा तभी काजल अशिक्षा की काली कोठी से बाहर शिक्षा के प्रकाश पुंज की ओर बढ़ सकेगी।

यह कहानी इस बात को रेखांकित करती है कि आरटीई 2009 को सफल बनाने हेतु नागर संमाज संगठन, शिक्षा विभाग, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक के अलावा अन्य प्रशासनिक विभागों के बीच आपसी समन्वयन की अत्यंत आवश्यकता है।

Asha Kumari

Asha kumari dropped out of school after her mother died and got engaged in the household work. She belongs from Mallipur village of Rohtas district. This 12 year old child had a lot of dreams about her future and also had a lot of interest towards getting educated but her father was a daily wage worker and she also had three younger siblings who she had to take care of. So many responsibilities at the age of 12 became an impediment in her education.

Jan Aadhikar Kendra, an organisation working towards child rights, helped in getting this girl back to education. While doing a field survey on out of school children, activists from the organisation came to know about her. The activists decided to generate awareness regarding RTE Act. This helped in Asha and her brothers know about free and compulsory education as their right. This encouraged them to get back to educating themselves. Activists working in the area also talked to father of Asha and convinced him to send Asha to school. Now Asha is completing her education and has started to dream again.

Kajal

The only fault of 10 year old Kajal is that she is born to parents who, for earning their living, work in stone quarries. A resident of Bodarwar, Kushinagar, Uttar Pradesh is the eldest daughter of her parents Mr. Suresh and Mrs. Gujarati Devi and have never attended school. Her parents do not have a proper house to stay; they have a temporary house which just has a thatched roof with four walls and no door. Though there are entitlements like Indira Aawas joyana but the family has not been able to get a house under this scheme. Under such circumstances, Bhartiya Mazdoor Avan Mahila Baal Kalyan Seva Sansthan's activist, Mr. Shambhu Yadav, while doing a survey came across Kajal and after enquiring he got to know that her family was nomadic. Due to this they don't even have a BPL card. Organisation has decided to meet parents of Kajal and make them aware about Kajal's right to Education. At the same time, Mr. Shambhu also facilitated family in getting other schemes which it was entitled to so that problem of migration could be dealt with and Kajal could be admitted in school. Kajal has still not been admitted in any school but organisation is putting in all its efforts to admit Kajal in school by helping her family and making it aware about Right to Education.

परिशिष्ट 1

विद्यालय से वंचित बच्चे की कहानी

1. बच्चा/बच्ची का नाम श्री/कु0 ....

2. उम्र- वर्ष.................. माह .... दिन ....

3. लिंग ....

4. पिता का नाम ....

5. मां का नाम ....

6. पता ....

7. पो0 ....

8. जिला ....

9. पिन कोड ....

10. राज्य ....

11. पिता का व्यवसाय ....

12. अन्य भाई/बहन का विवरण ....

13. निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालय का नाम व पता- ....

....

बच्चे का फोटोग्राफ

क्रम	भाई/बहन का नाम	उम्र	क्या स्कूल जाते हैं	अगर नहीं तो कारण
1				
2				
3				
4				

14. विद्यालय न जाने वाले बच्चे का विवरण-

14.1 क्या बच्चा कभी विद्यालय गया ही नहीं ....

14.2 यदि नहीं तो क्यों नहीं गया (कारण)..................

....

14.3 यदि गया तो क्या बीच में छोड़कर वापस आ गया/आ गई (किस सत्र में)/..................

14.4 कारण ....

14.5 किस कक्षा से विद्यालय छोड़कर वापस आ गया/गई- ....

14.6 कक्षा तथा विद्यालय का नाम जहां से छोड़कर बच्चा वापस आया ....

....

14.7 अभी बच्चा क्या कर रहा है विस्तार से पूरी दिनचर्या लिखें.

....

14.8 क्या किसी ने पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास किया- ....

क्या प्रयास किया..................

....

14.9 परिणाम ....

....

15. अब आपकी संस्था क्या प्रयास कर रही है - ....

....

कहानी संकलित करने वाले कार्यकर्ता का नाम

कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

संस्था/संगठन का नाम एवं पूरा पता

दिनांक ....

Story of the Out of School child

1. Name of the Child Sri/Ku. .....
2. Age - year ..... Month ..... Date .....
3. Sex .....
4. Father's name .....
5. Mother's name .....
6. Address .....
7. Po .....
8. Dist .....
9. Pin Code .....
10. State .....
11. Father's Occupation .....
12. Details of the brother's & Sister's .....
13. Name and Address of the neighborhood primary school .....

.....

Photograph of the child

S.N.	Name of the Brother/Sister	Age	Do they go to school	If no, why
1				
2				
3				
4				

14. Details of the out of school children

14A. Has the child never been to school ? .....

14B. If s/he has not, what was the reason ? .....

.....

14C. Did s/he drop out in between (which slandered/class .....

14D. Reason .....

14E. Which standard did s/he drop out? .....

14F. Class & name of the school from which the child drooped out .....

14G. What is the child doing now, write in detail all her/his daily routine .....

14H. did anyone try to the effort resend/readmit him/her in school .....

14J. What was the effort taken .....

14K. What was the result of the efforts .....

15. What efforts if your organization taking towards it & .....

Name of the Activist who collect the story

Signature of the activist

Name & add. Of the Organization

Date

बच्चे के पुनः विद्यालय जाने की सफलता की कहानी

(इस श्रेणी में वह बच्चा/बच्ची आएगा जो पहले या तो किसी विद्यालय में नामांकित नहीं हुआ या नामांकित होने पर विद्यालय छोड़कर घर बैठ गया था अब अभिभावक/किसी स्थानीय संस्था/संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता/अध्यापक/विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रयासों से वह बच्चा/बच्ची पुनः स्कूल जाने लगा है/लगी है। यह एक सफल प्रयास की कहानी है)

1. अब विद्यालय जाने वाला बच्चा/बच्ची का नाम श्री/कु0 ....
2. उम्र- वर्ष.................. माह .... दिन .... लिंग ....
3. पिता का नाम ....
4. का नाम ....
5. पता ....
6. पता ....
7. पो0 ....
8. जिला..
9. पिन कोड ....
10. राज्य ....
11. पिता का व्यवसाय ....
12. अन्य भाई/बहन का विवरण..
13. बच्चा कभी विद्यालय गया (हां/नहीं)................................

cPp: dk
QkVkxkQ

कम	भाई/बहन का नाम	उम्र	क्या स्कूल जाते हैं	अगर नहीं तो कारण
1				
2				
3				
4				

14. अगर नहीं तो क्या कारण थे-..
....
....
15. यदि विद्यालय गया तो किस कक्षा से छोड़कर घर वापस आया (किस सत्र में) ....
16. कारण-..
....
17. अब किसके प्रयासों से पढ़ रहा/रही है (किस प्रकार का प्रयास किया गया विवरण लिखें) ....
....कहां पढ़ रहा है/पढ़ रही है
18. विद्यालय का नाम ....
18. विद्यालय का पता ....
18. कक्षा ....
19. बच्चे के बारे में अन्य विशेष जानकारी दें जो औरों को प्रेरित करने वाली है (अभिभावक / प्रधाानाचार्य / कक्षाध्यापक / दोस्त/ सहपाठियों से बात करके)- ....
....

कहानी संकलित करने वाले कार्यकर्ता का नाम — कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

संस्था/संगठन का नाम एवं पूरा पता — दिनांक

Success Story of the Children

1. Name of the child who's going to school Sri/Ku .....
2. Age - year ..... Month ..... Date .....
3. Sex .....
4. Father's name .....
5. Mother's name .....
6. Address .....
7. Po .....
8. Dist .....
9. Pin Code .....
10. State .....
11. Father's Occupation .....

Photograph of the child

S.N.	Name of the Brother/Sister	Age	Do they go to school	If no, why
1				
2				
3				
4				

12. Details of the brother's & Sister's .....
13. Has the child been to school (Yes/No) .....
14. If no, what is the reason .....

    .....

    .....
15. If s/he has been, which session did drop out in ? .....
16. What are the reason ? .....

    .....
17. With where efforts is he/she studying (explain in detail the efforts taken) .....

    .....
18. Details of the school s/he presently is studying in -

    18A. Name of the School .....

    18B. Address of the School .....

    18C. Class .....
19. Please give other information about the child which would inspire/encourage others (Information through parents/ headmaster/class teacher/friends/colleges) .....

.....

Name of the Activist who collected the story Signature of the activist

Name & add. Of the Organization

Date

परिशिष्ट 2

'बच्चों के लिए मुफ्त, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009'

बच्चों के लिए मुफ्त, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 भारत में एक लंबे संघर्ष के बाद 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया। इस अधिनियम की विशेषताएं एवं प्रावधान निम्नानुसार है-

- अप्रैल 1, 2010 को भारत में प्राथमिक शिक्षा को 6-14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का संवैधानिक अधिकार बनाया गया।
- भारतीय संविधान में कहा गया है कि 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
- नि:शुल्क का मतलब है कि बच्चे से किसी तरह की फीस या अधिभार या खर्च जो बच्चे को प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने में बाधा पहुंचा सकता है, नहीं लिया जाएगा।
- अनिवार्य से मतलब है कि राज्य सरकार 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों का प्रवेश, उपस्थिति एवं प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करना सुनिश्चित कराएगी।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई बच्चा जो 6 वर्ष से ज्यादा उम्र का है और कभी स्कूल नहीं गया या जिसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है उसे उसकी उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा में दाखिला दिलाया जाएगा। ऐसे बच्चों को उस कक्षा के अन्य बच्चों के स्तर तक लाने के लिए विशेष शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या बच्चे का निवास स्थान विद्यालय में प्रवेश के लिए अवरोध नहीं बनेगा।
- कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को फेल (अनुत्तीर्ण) नहीं किया जाएगा।
- किसी बच्चे को किसी भी तरह का शारीरिक दण्ड या मानसिक दबाव नहीं दिया जाएगा।
- यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वो यह सुनिचित करें कि हर बच्चा अपने पड़ोस के विद्यालय में प्रवेश पा सके।
- अगर किसी स्कूल में शिक्षक नहीं है तो इस कानून के लागू होने के पांच वर्ष के अन्दर रिक्तियां भरे जाने को यह अधिनियम बाधय करता है। यह भी कि अगर शिक्षक पूर्णत: प्रशिक्षित नहीं है तो उसे आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- कोई शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा।
- कोई शिक्षक जनगणना, आपदा से संबंधित ड्यूटी, स्थानीय निकाय या विधान सभा/लोकसभा चुनावों के अलावा किसी गैर शैक्षणिक उद्देश्यों से नहीं लगाया जाएगा।
- स्कूल प्रबंधन समिति, विद्यालय की गतिविधियों की निगरानी करेगी, स्कूल के विकास के लिए नियोजन करेगी, संस्तुति करेगी और विद्यालय को सरकार या अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान के उपयोग की निगरानी करेगी।
- प्रवेश के समय कोई विद्यालय बच्चों से किसी प्रकार का प्रतिकर शुल्क नहीं लेगा, अगर ऐसा किया गया है तो उसे जुर्माना भरना होगा।
- गैर वित्त पोषित विद्यालयों, विशिष्ट श्रेणी जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि को निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 25 फीसदी सीट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आस-पड़ोस के बच्चों के लिए आरक्षित रखा जाएगा और उन्हें अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा मुहैया कराएगा।
- कोई बच्चा किसी भी परिषदीय परीक्षा में तब तक शामिल नहीं होगा जब तक उसने प्राथमिक शिक्षा हासिल न की हो।
- विद्यालय भवन इस तरह का होगा जो सभी ऋतुओं में अनुकूल होगा, सभी शिक्षकों के लिए शिक्षण कक्ष, लड़कियों-लड़कों के लिए अलग शौचालय, शुद्ध पेय जल की सुविधा, रसोई घर, खेल मैदान, चारदीवारी, शिक्षण सामग्री/पुस्तकालय आदि संसाधन उपलब्धहोना अनिवार्य रहेगा।
- सभी राज्यों में शिक्षा अधिकार अधिनियम के कियान्वयन की निगरानी के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी होगी और अगर राज्य में आयोग का गठन नहीं हुआ है तो उसे गठित करना राज्य की जिम्मेदारी होगी।

नेशनल कोएलीशन फार एजूकेशन (एनसीई) भारत

नेशनल कोएलीशन फार एजूकेशन (एनसीई) शिक्षा के अधिकार पर कार्यरत विभिन्न संघों का समन्वय है जिसमें शिक्षा के अधिकार पर संसदीय फोरम, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, अखिल भारतीय शिक्षक संगठनों का फोरम, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ, ऑल इण्डिया एसोसिएशन फॉर क्रिस्चियन हायर एजूकेशन, वर्ल्ड विजन इण्डिया एवं पीपल्स कैम्पेन फार कॉमन स्कूल सिस्टम आदि हैं।

जोम्तीयन कान्फेंस 1990 द्वारा सबको शिक्षा (एजूकेशन फार ऑल) की घोषणा के बाद लगातार इस पर दबाव रहा है कि सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। परंतु 10 वर्षों में कोई खास प्रगति नहीं देखी गई और वर्ष 2000 में वर्ल्ड एजूकेशन फोरम आयोजित हुआ और ई.एफ.ए (एजूकेशन फार ऑल) 2015 पर सहमति बनी।

भारत में वर्ष 2002 में नेशनल कोएलीशन फार एजूकेशन (एनसीई) का गठन किया गया जो प्रमुख रूप से बच्चों के शिक्षा अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न शिक्षा अधिकार संघों, संगम, नेटवर्क, फोरम एवं गैर सरकारी संगठनों का समन्वय के रूप में कार्य कर रहा है।

एनसीई का सपना :

नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन हर बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा का मौलिक अधिकार बहाल करने, जो बिना किसी अपवाद के समान अवसर के आधार पर और किसी भी वर्ग, जाति, लिंग, धर्म या नस्ल के साथ बिना भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके इसके लिए प्रयास करेगा। एन.सी.ई. का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, विकास तथा सहभागिता का अधिकार है।

एनसीई का लक्ष्य :

नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन नागरिक संगठनों एवं विभिन्न हितभागियों की साझेदारी के जरिए शिक्षा के अधिकार की पैरोकारी करता है जो सभी बच्चों को समान रूप से बाल मैत्री परिवेश में बिना किसी भेदभाव के प्राप्त करने का न्यायपूर्ण हक है।

अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को दृष्टिगत करके नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन शिक्षा अधिकार अधिनियम की जमीनी तस्वीर को समझने तथा उसे व्यापक फलक पर लाने की कोशिशों के अन्तर्गत प्रथम प्रयास कर रही है। इस अध्ययन का स्वरूप आंकड़ा इकट्ठा करने से नहीं बल्कि उन प्रक्रियाओं को उजागर करना है जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने में मदद मिली है और उन कारणों को भी सामने लाना है जो बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने में बाधक बने हुए हैं।

ABOUT NATIONAL COALITION FOR EDUCATION (NCE)

Vision

All children up to 18 years of age are in schools and are getting quality education driven by human values to become empowered and productive citizen.

Mission

NCE strives to advocate the right to education, a justiciable right for every child on the basis of equal opportunity, gender equity, in a child friendly environment.

Genesis

The creation of national coalition for education in India was highly influenced by the global political atmosphere on right to education. Beginning in 1990 with the Jomtien Conference and the adoption of the World Declaration on Education for All there has been a continued push to get every child into school. However, there was very little progress being made and ten years later, in 2000, the World Education Forum was held in Dakar, Senegal, and an agreement was made on the objective of having EFA by 2015. Six targets were set up stating that quality education should be available for free for everyone. One of the biggest players present at the forum was the Global Campaign for Education (GCE) that was created from the efforts of INGO's Action Aid, Oxfam GB, and Education International that wanted to set up a global coordinated funding initiative. The GCE promised to mobilize and create public pressure on governments to follow up on their promises to provide free high quality education for all people, especially for children and women (GCE 2009).

The NCE was formed as a product of the prolonged struggle of like-minded organizations, groups and individuals on the issues of education in India. The idea of establishing a national coalition in India initially began in 1996 when several of the current members began working together of the issue of EFA.

Composition

Since its official inception in 2002, the NCE has brought together a varied group of member organizations, uniting teachers unions, non-governmental organizations, and other social movements. At this time, the NCE has seven member organizations:

- All India Primary Teachers Federation (AIPTF), a union of more than 3 million primary teachers,
- All India Federation of Teachers Organization (AIFTO), a union of 1.2 million teachers,
- All India Secondary Teachers Federation (AISTF), a union of 0.85 million teachers,
- All India Association for Christian Higher Education (AIACHE), an association of 300 college principals,
- World Vision India, a foundation working for child rights, education and development,
- Parliamentary Forum for ensuring right to Education, a group of existing and newly elected Parliamentarians.
- People's Campaign for Common School System (PCCSS) an organisation working for common school system.
- Besides these partners NCE has around 150 NGOs, individuals, networks and fellow travellers from community as well as at national level.

The NCE initiative extends to many regions of India, covering northern, central, north-eastern, eastern and southern regions . While the NCE is the official representative of the GCE in India and is part of other regional organizations such as Asian South Pacific Bureau of Adult Education (ASPBAE), the majority of its activities are focused internally. Its international presence plays a secondary role for its members and for the most part is only a representative one intended to bring recognition and acknowledgement of India's challenges and values to the global education community.

NATIONAL COALITION FOR EDUCATION

Shikshak Bhawan, 41 Institutional Area, D-Block, Janakpuri, New Delhi-110058

Ph.: +91 11 2852685I Fax: +91 11 28525271

Email: info@nceindia.org Website: www.nceindia.org

All India Primary Teachers Federation | All India Federation of Teachers Organisations | All India Secondary Treachers' Federation | Peoples Campaign for Common School System | World Vision INDIA